राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

59वीं बैठक दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 से संबंधित कार्य बिन्दु पर कृत कार्रवाई

क्र.सं	कार्य बिन्दु	कृत कार्रवाई
1	**राज्य सरकार से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण :** **क)** बैंक द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑन प्रभार लाइन-का सृजन करने हेतु अधिसूचना जारी किया जाना अपेक्षित है।	**क) इस संबंध में राज्य सरकार से अधिसूचना जारी किया जाना प्रतीक्षित है एवं बैंक के स्तर से वसूली प्रमाण पत्रों के मिलान हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।**
	ख) बैंकों द्वारा **"वसूली प्रमाण पत्र"** को ऑन-लाइन फाइलिंग करने से संबंधित सॉफ्टवेयर को एन.आई.सी. द्वारा शीघ्र तैयार कराया जाए।	**ख) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।**
	ग) शासन द्वारा रुद्रप्रयाग एवं चम्पावत जिले में आरसेटी संस्थान हेतु भूमि, जो ग्राम्य विकास विभाग को हस्तांतरित कर दी गयी है, उसे यथाशीघ्र संबंधित आरसेटी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाए।	**ग) आरसेटी संस्थान रुदप्रयाग एवं चम्पावत को जिला प्रशासन / ग्राम्य विकास विभाग से भूमि को आरसेटी संस्थान के नाम हस्तांतरित करवाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।**
	विभिन्न आरसेटी संस्थानों में **बी.पी.एल.** अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण पर किए गए खर्चों की शेष **₹ 16.90** लाख की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जानी है।	**संबंधित आरसेटी संस्थान को निर्देशित किया गया कि बी.पी.एल. अभ्यार्थियों पर किए गए प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु जिला ग्राम्य विकास विभाग से शेष बकाया धनराशि हेतु समुचित कार्रवाई करें।**
	घ) जनसाधारण के बीच कैश-लेस ट्रान्जेक्शन को अपनाने हेतु प्रेरित करने में सहयोग एवं न्याय पंचायत स्तर से ग्रामों में प्रचार-प्रसार करवाया जाए।	**घ) नीति आयोग, भारत सरकार के निर्देशानुसार, जनसाधारण के बीच कैश-लेस बैंकिंग / ट्रान्जेक्शन को बढ़ावा / अपनाने हेतु राज्य सरकार एवं बैंकों के सहयोग से देहरादून में दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 एवं हल्द्वानी में दिनांक 05 जनवरी, 2017 को "डिजी-धन" मेला में डिजीटाइजेशन के वैकल्पिक माध्यमों का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित किया गया और साथ ही ग्राहकों एवं व्यापारियों के लिए "लक्की ड्रॉ" में विभिन्न पुरस्कार घोषित किए गए। इसका न्याय पंचायत स्तर पर राज्य सरकार के "कॉमन सर्विस सेन्टर" के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में "डिजीटल पेमेन्ट" के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करने हेतु जागरुक एवं प्रेरित किया जा रहा है।**
	ङ) विमुद्रीकरण से उत्पन्न परिस्थितियों के उपरांत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत **रबी 2016** सीजन हेतु संसूचित फसलों से संबंधित ऋण खातों का बीमा करने की **cut-off date** जोकि दिनांक **31**	**ङ) विमुद्रीकरण के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के निर्देशानुसार संसूचित फसलों से संबंधित ऋण खातों से बीमा प्रीमियाम शुल्क का एकत्रीकरण की**

	दिसम्बर, 2016 है तथा बीमा प्रीमियम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को प्राप्त होने की अंतिम तिथि **15 जनवरी, 2017** है, जिसे क्रमश: एक माह बढ़ाने हेतु सरकार से आग्रह किया गया है।	**अंतिम तिथि दिनांक 31.12.2016 से बढ़ाकर 10.01.2017 कर दी गयी है, जिसके संबंध में समस्त बैंकों को सूचित कर दिया गया है।**
2	**सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं पर सरकारी विभागों, बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधक हेतु कार्य बिंदु का विवरण :** **क)** सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत सभी लम्बित आवेदन पत्रों को बैंकों द्वारा दिनांक **31 दिसम्बर, 2016** तक निस्तारित कर दिया जाए।	**क) समस्त बैंकों में विभिन्न योजनांतर्गत लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है एवं अवधिवार आँकड़े एस.एल.बी.सी. विवरणी में दर्शाए गए हैं।**
	ख) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सभी बैंक पुन: कैम्प मोड में त्वरित गति से ऋण वितरित कर लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।	**ख) बैंकों ने दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक विभिन्न स्थानों पर 65 कैम्प / मेले का आयोजन कर 23,321 व्यक्तियों को रु. 456.85 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं।**
	ग) बैंकों द्वारा एस.एच.जी. के बैंक लिंकेज के उपरांत उनका क्रेडिट लिंकेज भी अनिवार्य रूप से किया जाए।	**ग) एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया है कि बैंक लिंकेज किए गए एस.एच.जी. को समुचित क्रेडिट उपलब्ध कराया जाए, ताकि समूह निर्बाध रुप से अपनी गतिविधियों का संचालन कर सके।**
	घ) वित्तीय समावेशन के अंतर्गत सभी "बैंक मित्रों" को सक्रिय कर, उनके द्वारा भी ग्राहकों के खातों में "आधार एवं मोबाइल सीडिंग" की जाए तथा उनके द्वारा **Aadhaar Enabled Payment System एवं रु-पे डेबिट कार्ड के माध्यम से कैश-लेस ट्रान्जेक्शन करवाया जाए। इसी क्रम में समस्त बैंक ई-वॉलेट एवं अन्य वैकल्पिक माध्यमों से कैश-लेस ट्रान्जेक्शन को प्रोत्साहित करें।**	**घ) संबंधित बैंकों ने अपने अधिकतर "बैंक मित्र" को सक्रिय कर दिया है और उनके द्वारा "आधार एवं मोबाइल सीडिंग" करवाया जा रहा है। कनेक्टिविटी रहित क्षेत्रों में ही बैंक मित्र असक्रिय हैं।** **दिसम्बर, 2016 तक समस्त बैंकों द्वारा आधार एवं मोबाइल सीडिंग की स्थिति निम्नवत् है :** आधार सीडिंग की संख्या: **39,19,166** मोबाइल सींडिंग की संख्या: **12,84,370** **ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मित्र एवं राज्य सरकार के कॉमन सर्विस सेन्टर के सहयोग से जनसाधारण को कैशलेस ट्रान्जेक्शन करने हेतु जागरुक किया जा रहा है।** **समस्त बैंक द्वारा ई-वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, रु-पे कार्ड, ए.ई.पी.एस. तथा यू.एस.एस.डी. इत्यादि वैकल्पिक माध्यमों से कैश-लेस लेन-देन को बढ़ावा दिया जा रहा है।**
	ङ) सभी बैंक स्टैण्ड अप इण्डिया के अंतर्गत उन्हें आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करें।	**ङ) स्टैण्ड अप इण्डिया के अंतर्गत बैंकों द्वारा अब तक 292 लाभार्थियों को**

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>रु. 60.37 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं। पुन: सभी बैंकों को लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>च) राज्य के 7 जिलों (अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी एवं रुद्रप्रयाग) को अक्टूबर, 2015 से अप्रैल, 2016 के मध्य सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के उपरांत, बैंकों द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2016 के स्टैण्डर्ड कृषि ऋण खातों को रिस्ट्रक्चर (Restructuring of Agri. Loan) किए जाने से संबंधित जिलेवार / बैंकवार आँकड़े एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।</td>
<td>च) इस संबंध में दिनांक 19 सितम्बर, 2016 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप बैंकों द्वारा सभी सात सूखाग्रस्त घोषित जिलों में दिनांक 30 अप्रैल, 2016 के 1237 स्टैण्डर्ड कृषि खातों में रु. 238.69 करोड़ के ऋण राशि को रिस्ट्रक्चर किया गया है।
(रु. लाखों में)
<table>
<tr><th>जिला</th><th>संख्या</th><th>ऋण राशि</th></tr>
<tr><td>अल्मोड़ा</td><td>141</td><td>28.46</td></tr>
<tr><td>बागेश्वर</td><td>156</td><td>33.81</td></tr>
<tr><td>चम्पावत</td><td>147</td><td>27.76</td></tr>
<tr><td>नैनीताल</td><td>345</td><td>49.76</td></tr>
<tr><td>पौड़ी</td><td>122</td><td>28.49</td></tr>
<tr><td>पिथौरागढ़</td><td>276</td><td>43.96</td></tr>
<tr><td>रुद्रप्रयाग</td><td>106</td><td>26.45</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>1293</td><td>238.69</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>नाबार्ड एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों हेतु कार्य बिंदु :

क) किसानों की आय दोगुना करने को दृष्टिगत रखते हुए नाबार्ड द्वारा आगामी वर्षों की "पोटेन्शियल लिंक प्लान" तथा समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक जिले से संबंधित "वार्षिक ऋण योजना" को क्षेत्र विशेष की संभाव्यता को केंद्रित रखकर तैयार करें। इस दिशा में की गयी प्रगति की मॉनिटरिंग करने हेतु जिला स्तर पर "विशेष जिला परामर्शदात्री समिति (डी.सी.सी.)" का गठन किया जाए।</td>
<td>क) भारत सरकार के 2016 के आम बजट में की गयी घोषणा में वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुना किया जाना है। इस दिशा में नाबार्ड द्वारा समस्त हितधारकों (Stakeholders) के मध्य दिनांक 06 जनवरी, 2017 को चर्चा की गयी। इस विषयक जिला स्तर पर "विशेष जिला परामर्शदात्री समिति (डी.सी.सी.)" का गठन किया गया है, जिसके द्वारा किसानों की आय सुरक्षा केंद्रित, क्षेत्र विशेष पर आधारित "पोटेन्शियल लिंक प्लान" तैयार किया जा रहा है।</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ख) बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक के सहयोग से नाबार्ड "स्वयं सहायता समूहों" का डिजीटाइजेशन करवाए, ताकि उनका बैंक लिंकेज एवं क्रेडिट लिंकेज करवाने में सुगमता हो सके।</td>
<td>ख) नाबार्ड द्वारा ई-शक्ति के अंतर्गत जिला देहरादून में एस.एच.जी. का डिजीटाइजेशन करवाया जा रहा है, तदुपरांत शेष जिलों में भी इस प्रक्रिया को आरम्भ किया जाएगा, ताकि उनका बैंक लिंकेज एवं क्रेडिट लिंकेज करवाने में सुगमता हो सके।</td>
</tr>
</table>

4	सभी बैंक नियंत्रक, दिसम्बर, 2016 की **त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. विवरणी 1-49** पूर्णत: जाँच करने के उपरांत सही एवं वास्तविक आँकड़े, दिनांक **15 जनवरी, 2017** तक एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट **www.slbcuttarakhand.com** पर ऑन-लाइन प्रेषण करें। **(कार्रवाई - सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबन्धक)**	**भारतीय रिजर्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुरूप समस्त बैंकों द्वारा एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड के वेबपोर्टल (www.slbcuttarakhand.com/login/banklogin.aspx) पर अपने त्रैमासिक आँकड़ों का प्रेषण दिनांक 15 जनवरी, 2017 तक करना अनिवार्य था, लेकिन कई बैंकों द्वारा निर्धारित तिथि के उपरांत भी आँकड़ों का प्रेषण नहीं कराया गया, जिसके विषय में भारतीय रिजर्व बैंक को भी अवगत करा दिया गया है। अत: सभी बैंक भविष्य में सही एवं वास्तविक आँकड़ों का निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से ऑन-लाइन प्रेषण करने हेतु पुन: निर्देशित कर दिया गया है।**

****